प्रेस–विज्ञप्ति
जनपद कानपुर देहात।

दिनांकः 23.11.2021

थाना सिकन्दरा पुलिस ने अवैध गांजा समेत 01 आरोपी को किया गिरफ्तार।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद कानपुर देहात के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक का0दे0 के मार्गदर्शन में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाये जाने, वाछिंत/वारन्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु क्षेत्राधिकारी सिकन्दरा के नेतृत्व मे दिनांक 23.11.21 को प्रभारी निरीक्षक सिकन्दरा व वरिष्ठ उपनिरीक्षक राजेश कुमार व उ.नि. उमेश चन्द्र मय हमराह फोर्स द्वारा गश्त एवं भ्रमण के दौरान पटेल चौक कस्बा सिकन्दरा मे मौजूद थे। तभी मुखबिर खास से सूचना मिली कि सूर्या तिराहा पर एक व्यक्ति खडा है जिसके पास एक झोला है जो औरैया जाने की फिराक में है और झोले में नाजायज गाँजा है। मुखबिर की सूचना पर विश्वास कर पुलिस बल द्वारा दबिश देकर सूर्या तिराहा के पास से अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 01 किलो 100 ग्राम गाँजा नाजायज बरामद किया गया बरामदा गाँजा के बारे में पूछा गया तो बताया कि साहब इस गाँजे को मै पीने वाले एवं जरूरतमंद लोगों को बेचता हूं जिससे दो पैसे की बचत हो जाती है। उपरोक्त व्यक्ति के विरुद्ध मु0अ0सं0 248/21 धारा 18/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया। निश्चित ही उक्त अभि0 के पकडे जाने से जनपद कानपुर देहात व आस पास के जनपदों में अवैध गाँजा चरस बेचने जैसी घटनाओं पर अंकुश लगेगा। अभि0 आशू उर्फ टक्कल एक शातिर किस्म का अपराधी है। जो कई बार जेल जा चुका है। जिसके विरुद्ध कई थानों में अपराध पंजीकृत है।

गिरफ्तार अभियुक्त–

1-आशू उर्फ टक्कल पुत्र शमीम मन्सूरी निवासी ग्राम दयालपुर थाना कोतवाली औरैया जनपद औरैया।

बरामदगी–

1– एक झोले में नाजायज गाँजा 1 किलो 100 ग्राम

उपरोक्त अभि0 का आपराधिक इतिहास

1–मु0अ0सं0 248/2021 धारा 18/20 एनडीपीएस एक्ट थाना सिन्दरा जनपद कानपुर देहात।
2–मु0अ0सं0 390/17 धारा 392 भादवि थाना सिकन्दरा का0दे0।
3–मु0अ0सं0 158/19 धारा 394 भादवि थाना सिकन्दरा का0दे0।
4–मु0अ0सं0 167/19 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सिकन्दरा का0दे0।
5–मु0अ0सं0 163/19 धारा 307 भादवि (पुलिस मुठभेड) थाना सिकन्दरा का0दे0।
6–मु0अ0सं0 248/19 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट थाना सिकन्दरा का0दे0।
7–मु0अ0सं0 20/20 धारा 392/411 भादवि थाना सट्टी जनपद का0दे0।
8–मु0अ0सं0 101/20 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट थाना सट्टी जनपद का0दे0।
9–मु0अ0सं0 136/21 धारा 379 भादवि थाना कोतवाली औरैया जनपद औरैया।
10–मु0अ0सं0 248/2021 धारा 18/20 एनडीपीएस एक्ट थाना सिन्दरा जनपद कानपुर देहात।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1- प्रभारी निरीक्षक शैलेन्द्र कुमार मिश्र थाना सिकंदरा कानपुर देहात

2- व0उ0नि0 राजेश कुमार यादव थाना सिकंदरा कानपुर देहात

3-उ0नि0 किशन पाल सिह थाना सिन्दरा कानपुर देहात।

4- आरक्षी 1041 बिजेन्द्र कुमार थाना सिकंदरा कानपुर देहात
5. आरक्षी 762 मोहित गौतम थाना सिकंदरा कानपुर देहात